(ख) उक्त थोक विक्रेताओं में से कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हैं और उनके नाम क्या-क्या हैं तथा क्या उनकी संख्या संतोषजनक है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विक्रेताओं/अभिकर्ताओं की नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) देश के विभिन्न भागों में छोटे उपभोक्ताओं की कोयले की उपलब्धता में सुधार लाए जाने की दृष्टि से कोल इंडिया लि. ने कोयले में थोक व्यापार को विकसित किए जाने के लिए एक नई योजना विकसित की है । इस योजना के अंतर्गत कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों खुले विज्ञापनों के जरिए आवेदनों के आधार पर थोक बिक्री डीलरों की नियुक्ति करेंगे । प्रत्येक डीलर को प्रतिमाह न्यूनतम 3,000 टन कोयले का उठाव करना पड़ेगा । डीलरों को उसे कोयले की बिक्री करने और उसकी बिक्री किए जाने वाले कोयले की कीमतों का निर्धारण करने के मामले में स्वतन्त्रता होगी ।

इस योजना का अभी कार्यान्वयन किया जाना है। अतः कोल इंडिया लि. ने अभी तक उक्त प्रदेश में कोयले के किसी थोक बिक्री डीलर की नियुक्ति नहीं की है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों को, यदि वे इस योजना में दिए गए वाणिज्यिक मानदण्डों को पूरा करते हों तो उन्हें भी उपरोक्त योजना के अंतर्गत थोक बिक्री डीलर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है ।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन न किया जाना

3829. **श्री राम नरेश यादव** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने 30 मई, 1990 को एक निर्णय दिया था जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड को श्रमिकों को पुनर्नियुक्त करने का आदेश दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधकों ने इस निर्णय का पालन किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो न्यायालय के इन आदेशों का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने 30 मई, 1990 के निर्णय में यह आदेश दिया था कि कोल इंडिया लि. के प्राधिकारी याचिकाकर्ता कामगारों के व्यक्तिगत अभ्यावेदनों पर तीन माह की अवधि के अंदर विचार कर लें और प्रत्येक याचिकाकर्ता को जांच पूरी होने तक 10,000/- रु. की राशि अदा की जाए । उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को प्रबंधन द्वारा अपील करने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश दे दिया है । यह मामला अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है ।

प्रतिकूल खनन परिस्थितियों के कारण अधूरी कोयला परियोजनाएं

3830. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिकूल खनन परिस्थितियों के कारण कोयला परियोजनाओं संबंधी कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो इस कारण प्रभावित हुई है और परिणामतः निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं की जा सकी है; और

(घ) सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) सरकार द्वारा स्वीकृत कुछ बड़ी भूमिगत चालू परियोजनाएं, जिनमें प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियों के